

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. SARAJINI MAHISHI) : Due to limitation for resources and strict order of priorities no schemes have been formulated in the Central Sector for the development of tourist facilities in and around Kota.

Air Flights connecting regional Capitals with Delhi

2633. SHRI BRIJ RAJ SINGH-KOTAH : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government are aware that at present there is no proper air-link of important regional capitals like Trivandrum, Bangalore and Bhubaneswar with Delhi ; and

(b) whether Government have any plans to remove the difficulty of passengers who want to save time ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. SARAJINI MAHISHI) : (a) and (b). Same-day connections, both ways, are available between (1) Delhi and Bhubaneswar ; and (2) Delhi and Bangalore. There is a same day connection from Trivandrum to Delhi but not in the reverse direction. Indian Airlines have plans to provide this from the winter of 71.

Booking done by Indian Airlines on Bombay-Cochin and Cochin-Bombay Sectors

2634. SHRI VAYALAR RAVI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the total number of bookings done by Indian Airlines on Bombay-Cochin and Cochin-Bombay Sector since January, 1970 ; and

(b) how far the Indian-Airlines has met with the demands of passengers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. SARAJINI MAHISHI) : (a) and (b). Indian Airlines carried 26,880

passengers from Cochin to Bombay and 25,767 from Bombay to Cochin during the period January, 1970 to May, 1971. However, capacity fell short of the requirements.

12.00 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED HEAVY FLOODS IN THE GANGES, ALAKNANDA, TEESTA AND THE RIVERS OF ASSAM

श्री रामाबतार शास्त्री (पटना) : मैं अवि-लम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर सिंचाई और बिद्युत मंत्री का ध्यान दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वह हम बारे में एक वक्तव्य दें :

“बिहार में गंगा नदी में, उत्तर प्रदेश में अलकनन्दा नदी में, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार और जलपाईगुड़ी जिलों में तीस्ता नदी में तथा असम में कुछ नदियों में कथित भारी बाढ़ आ जाने से उत्पन्न स्थिति ।”

सिंचाई और बिद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बंजनाथ कुरील) : दक्षिण पश्चिमी मानसून असम में 29 मई को, उत्तर बंगाल में 31 मई को, बिहार में 3 जून को, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 6 जून को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 जून को आगे बढ़ा। 16 जून तक मानसून बृष्टि उत्तर बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में अधिक थी और असम में कम थी। इस अवधि के दौरान रिकार्ड की गई भारी बृष्टि इन प्रकार थी—असम में पस्तीघाट में 9 जून और 10 जून को 13 सेन्टीमीटर, डिब्रुगढ़ में 9 जून को 10 सेन्टीमीटर और जोरहाट में 15 जून को 14 सेन्टीमीटर, उत्तर बंगाल में बागडोगरा में 11 तथा 12 जून को 18 सेन्टीमीटर, जलपाईगुड़ी में 12 या 13 जून को 19 सेन्टीमीटर और कूच बिहार में 15 जून को 22 सेन्टीमीटर, उत्तर प्रदेश के जोशीमठ में 12 तथा 14 जून को क्रमशः 8 सेन्टीमीटर तथा 6 सेन्टीमीटर और धारबूला में 14 जून को 27 सेन्टीमीटर।

चालू मानसून के दौरान असम में ब्रह्मपुत्र तथा इसकी कुछ सहायक नदियों, उत्तरी बंगाल में तीस्ता ; उत्तर बिहार में गंगा और कुछ नदियों और उत्तर प्रदेश के चमोली तथा पिथौरागढ़ जिलों में, बाढ़ों की सूचना मिली है। अब तक प्राप्त बाढ़ों की स्थिति का व्योरा निम्नलिखित है :—

असम में ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों सुबनसिरी और पगलाडिया में बाढ़ें आईं। ब्रह्मपुत्र डिब्रुगढ़ में 31 जून को और नियामाटी में 12 जून से आगे चेतावनी स्तर से ऊपर थी। डिब्रुगढ़ में जल-स्तर 14 जून को चेतावनी स्तर से नीचे गिर गया था। नियामाटी में जल-स्तर 16 जून को गिरना शुरू हो गया परन्तु 17 जून तक भी चेतावनी स्तर से ऊपर था। अन्य स्थानों पर जल-स्तर चेतावनी स्तरों से नीचे थे। भू-कटाव के परिणामस्वरूप सुबनसिरी के बाएं नटबन्ध में दरार आ गई।

उत्तर बंगाल में 4 जून को तीस्ता में माघारण दर्जे की बाढ़ें आईं और जलपाईगुड़ी तथा कच बिहार जिलों के अरक्षित क्षेत्रों में जल-उमड़ाव (स्पलॉग) हुआ। 8 जून को तीस्ता में फिर बाढ़ें आयीं। 14 जून के प्रारम्भिक चप्टों में तीस्ता में भारी बाढ़ आई थी। बाढ़ें उसी दिन दोपहर तक श्त गयीं।

बिहार में गंगा में केवल नीची बाढ़ें आयीं। कमला बालान, बागमती और कोसी में मध्यम बाढ़ें आयीं। 17 जून को बागमती चढ़ रही थी लेकिन फिर भी चेतावनी स्तर के नीचे थी। अभी तक किसी क्षति की सूचना नहीं मिली है।

उत्तर प्रदेश में 10 जून को चमोली जिले के अलकनंदा बेसिन में भारी वर्षा हुई। भू-स्तरम तथा मकानों के गिरने से 5 व्यक्तियों की मृत्यु होने की सूचना मिली है। रीनीगाढ़ पर एक पुल बह गया था। नन्दाप्रयाग से आगे

बदरीनाथ सड़क पर कई जगहों में दरारें पड़ गई थीं। बिरही पर एक अस्थाई पुल बह गया। पिथौरागढ़ जिले में 10 और 11 जून को भारी वर्षा हुई। धारचूला के निकट गर्लपति पुल बह गया तथा यातायात बंग हो गया। एक व्यक्ति की जान गई। धारचूला में सरकारी और निजी सम्पत्ति की हानि हुई।

राज्य सरकारें क्षति का मूल्यांकन कर रही हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : 23 वर्षों की आजादी के बाद भी हमारे देश में हर साल किसी न किसी सूबे में या कुछ सूबों में बाढ़ें प्रायः आती रहती हैं और लाखों व्यक्तियों को इससे जान माल की क्षति उठानी पड़ती है। इस साल हम में से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वर्षा इतनी पहले शुरू हो जायगी और उसके परिणामस्वरूप बाढ़ें पहले आ जायेंगी। लेकिन इस साल बाढ़ें समय से पहले आ गई हैं। बिहार में गंगा नदी, कोसी, गंडक, बागमती, भुतही, बलान, पुनपुन, सोन इत्यादि जितनी भी बिहार की नदियां हैं चाहे वे बिहार में हों या उत्तरी बिहार में, सभी में बाढ़ आ गई है और बहुत सी फसलों को नुकसान हुआ है। मकई की फसल करीब-करीब बरबाद हो गई है। लेकिन सरकार ने बयान में कहा है कि कोई क्षति नहीं हुई। भालूम नहीं यह समाचार उन्हें कैसे मिला। बाढ़ के फलस्वरूप बिहार के जितने भी जिले हैं, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारन, चम्पारन, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, मुनेर पटना, गया, शाहाबाद आदि सभी बाढ़ की चपेट में हैं और सैकड़ों गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं। कई जगहों से यह रिपोर्टें आ रही हैं कि संक्रामक रोग भी फैलने लगा है। पशुओं को चारा मिलना मुश्किल हो गया है और हजारों घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। करोड़ों रुपये की बर्बादी हुई है। यह स्थिति आज हमारे बिहार की है। हर साल यहां बाढ़ आती है और बिहार के लिए यह कोई नई बात नहीं है।

[श्री रामावतार शास्त्री]

उत्तर प्रदेश में भी अलकनंदा नदी में बाढ़ आई। पिछले माल भी वहाँ उममें बाढ़ आई थी जिसकी वजह से 22 बसों पानी में बह गई थीं और सैकड़ों लोग उस समय मारे गये थे। इस साल फिर उसमें बाढ़ आई और तीन लड़कियां बह चुकी हैं। आपने खुद बताया है कि पांच या सात आदमी और मर चुके हैं। आवागमन के साधन बदरीनाथ को बन्द हो चुके हैं और बहुत भारी क्षति का अनुमान है। यह उत्तर प्रदेश की स्थिति है। वहाँ भू-स्खलन भी हो रहा है, पहाड़ टूट कर गिर रहे हैं जिसकी वजह से भी नुकसान हो रहा है, लोग मर रहे हैं। चार गांवों का तो बिल्कुल पता ही नहीं है कि कहाँ है, बह कर कहाँ चले गये हैं।

जहाँ तक बंगाल का सम्बन्ध है उत्तरी बंगाल में तीस्ता नदी में बाढ़ आने की वजह से कूच बिहार और जलपाईगुड़ी में खतरा उत्पन्न हो गया है। जलपाईगुड़ी शहर में पानी आ गया है जैसे बिहार के सीतामढ़ी में आ गया है। असम की ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आ गई है जिसकी वजह से 146 गांव प्रभावित हुये हैं। अभी बरमात के दो महीने बाकी है। अभी तो श्रीगणेश ही हुआ है, प्रारम्भ ही हुआ है और बागे चलकर पता नहीं स्थिति कहाँ तक बिगड़ेगी। इसी से आप अनुमान लगा सकते है कि आने वाले दिनों में कौसी मुसीबत हिन्दुस्तान के विभिन्न सूबों के नागरिकों को उठानी पड़ेगी, किसानों, मजदूरों और गरीब लोगों को भुगतनी पड़ेगी। इस स्थिति पर 23 वर्ष की आजादी के दौरान भी हम काबू नहीं पा सके हैं।

इस पृष्ठभूमि में मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि सरकार ने बाढ़ों की समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए पिछले तीन सालों के अन्दर कौन सी योजनायें लागू की हैं और उसका क्या गतीबिगति निकला है और इसमें सरकार की कितनी धनराशि व्यय हुई है।

प्रश्न में बाढ़ों न आयेँ और अगर आएँ तो हम उनका मुकाबला कर सकें, इसके लिए

आपने अगर कोई योजना बनाई है तो उस योजना का खाका सदन के सामने और देश के सामने आप रखें ताकि जनता को यह भरोसा हो सके कि सरकार सचमुच में बाढ़ों को रोकने और बाढ़ों से प्रताड़ित लोगों की मदद करने के लिए तैयार है।

इस साल जो बाढ़ आई है, क्या सरकार को इसके बारे में पहले से कोई अनुमान था या नहीं; अगर था, तो इससे बचने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये ?

1967 के चुनाव के बाद पश्चिमी बंगाल में जो संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी, उसके सिन्हाई मंत्री, श्री विश्वनाथ मुकर्जी, ने पश्चिमी बंगाल में बाढ़ की रोक-थाम के लिए, और बिहार को उसके असर में बचाने के लिए, एक मास्टर प्लान दिया था। उसके बाद 1968 में वहा फिर बाढ़ आई। उन्होंने 1969 में फिर मास्टर प्लान दिया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्रीय सरकार ने उम मास्टर प्लान को लागू किया है या नहीं; अगर नहीं, तो कौन से व्यवधान उपस्थित हो गये, जिनकी वजह से उम मास्टर प्लान को लागू नहीं किया गया। क्या सरकार पश्चिमी बंगाल और बिहार की जनता को बाढ़ से बचाने के लिए उस प्लान को लागू करने का इरादा रखती है या नहीं? अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी, तो वह हिमालय से निकलने वाली नदियों की बेगवती धारा को नहीं रोक सकेगी, जिसका परिणाम यह होगा कि उस क्षेत्र में जीवन और सम्पत्ति की बहुत क्षति होगी।

यह बाढ़ हर साल आती है और इस बार भी आई है। हर साल लाखों सरकारी कर्मचारी बाढ़ की चपेट में आते हैं, जिससे उन्हें अनेक बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पिछली बार जब बिहार में बाढ़ आई थी तो सरकार ने वहाँ के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को फ्लड एडवांस दिया था। इस बार बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के उत्तरी भाग और आसाम में जो बाढ़ आई है,

उससे भी हजारों सरकारी कर्मचारी प्रभावित हुए होंगे। देश भर में जहाँ-जहाँ बाढ़ आई है, क्या सरकार यहां के सरकारी कर्मचारियों की मदद के लिए फ्लड एडवांस, बाढ़ सम्बन्धी अग्रिम राशि, देगी, ताकि वे लोग निश्चिन्त हो कर अपना काम कर सकें ?

श्री बीजनाथ कुरील : इसमें कोई शक नहीं है कि बाढ़ से हर साल जन, धन और पशुओं की बहुत क्षति होती है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1954 की धयंकर बाढ़ के बाद इस सम्बन्ध में एक नेशनल पार्लिसी बनाई थी, जिसके तीन फेजिज हैं : इम्मीडिएट, शार्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म। उसी के आधार पर काम हो रहा है। एक फ्लड कंट्रोल बोर्ड बना है, आसाम में एक कमीशन बना है और एक टेकनिकल कमेटी भी है, जो इन सब मामलों में मलाह देती है। बाढ़ की रोक-थाम और उससे उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए कुछ स्कीमें हाथ में हैं, जिनमें से कुछ मुख्य काम है एम्बैकमेंट बनाना, पहले के एम्बैकमेंट्स को मजबूत करना और ड्रेज के द्वारा पानी को बाहर निकालने की कोशिश करना, आदि।

ये स्कीमें इस समय हाथ में हैं : आसाम में प्रोटेक्शन आफ कोकिलमुख एरिया फ्राम इरोज्न् आफ रिबर ब्रह्मपुत्र—336 लाख रुपये, दुबरी प्रोटेक्शन वर्क्स—155 लाख रुपये और भाईजन प्रोटेक्शन वर्क्स—100 लाख रुपये। बिहार में रेजिग एण्ड स्ट्रेंथनिंग आफ कमला बालान एम्बैकमेंट—103 लाख रुपये और प्रोटेक्शन वर्क आफ कौसी एम्बैकमेंट—320 लाख रुपये। बंगाल में ईस्टर्न मोगराहाट ड्रेनेज स्कीम—296.50 लाख रुपये, स्वर्णरेखा एम्बैकमेंट स्कीम—132.54 लाख रुपये और इम्परूवमेंट आफ लोअर रामोवर (फेज वन)—655 लाख रुपये।

एक भाषनीय सदस्य : श्री शास्त्री जी ने तो उत्तर बंगाल की बात कही है।

श्री बीजनाथ कुरील : उसमें सियालदांग गैंग्रिज ड्रेनेज स्कीम—115 लाख रुपये, चौबी

बेसिन ड्रेनेज स्कीम—149 लाख रुपये और रिससीटेशन आफ रिबर कालियाघाटी—425 लाख रुपये।

उत्तर प्रदेश में लखनऊ टाउन प्रोटेक्शन वर्क्स—296 लाख रुपये और स्ट्रेंथनिंग आफ रेलवे एम्बैकमेंट नियर चितौनी रेलवे स्टेशन—119 लाख रुपये।

ये योजनायें इस समय हमारे हाथ में हैं। जहां जहां आवश्यकता होगी, वहां के लिए भी योजनायें बनाई जायेंगी।

श्री शास्त्री ने पूछा है कि क्या इस बाढ़ के बारे में कोई अनुमान था। अन्दाज तो रहता है, लेकिन बाढ़ इतनी जल्दी आ जायेगी, यह क्याल नहीं था। गंगा में पानी अभी डेंजर पायंट से ऊपर नहीं गया है। अलकनन्दा का कुछ पता नहीं लगता है और उसका कोई फोरकास्ट नहीं हो पाता है। वह तुरन्त घटती है और तुरन्त बढ़ जाती है, जिससे नुकसान हो जाता है। पिछले साल से इस तरह की घटनायें शुरू हुई हैं। इससे पहले इस तरह की घटनायें इस नदी में नहीं होती थी।

श्री रामाबलार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री ने फ्लड एडवांस के बारे में नहीं बताया है।

श्री हुना उराब (जलपाईगुड़ी) : नार्थ बंगाल में बराबर बाढ़ आया करती है। अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि वहां बाढ़ आई है, लेकिन वहां पर फ्लड कंट्रोल के उपायों के बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। उसकी रिपोर्ट भी नहीं निकली है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार उसकी रिपोर्ट को निकालने के लिए और उसको कार्य रूप में परिणत करने के लिए क्या कर रही है।

श्री बीजनाथ कुरील : नार्थ बंगाल के लिए कुछ काम जारी हुए हैं। एक तो एक्सटेंशन

[श्री बैजनाथ कुरील]

आफ बाटरवे आफ जलपाईगुरी रोड एण्ड रेलवे
क्लिजिज की योजना हाथ में है और दूसरी है
प्रोवाइडिंग ए प्रापर आउटफाल टु करला रिबर
टु प्रिवेंट फ्लडिंग इन जलपाईगुरी टाउन ।
जलपाईगुरी टाउन को जो डेंजर है, उससे बचने
के लिए ये दो योजनायें हाथ में हैं ।

SHRI B. K. DASCHOWDHURY
(Cooch-Bihar) : What about Cooch-Bihar ?

I wish to make a humble submission.
We do not understand what is the purpose
of tabling calling attention motions if this
is the type of answer that is to be given.
I would seek your protection in this
regard. If you kindly go through the
statement of the Minister, you will find that
it is just a catalogue of events and nothing
more. Is this the only function of the
Minister, to present a catalogue ? Are we,
the members here, and the people outside
not entitled to know what Government is
doing about this matter ? But about that,
nothing has been said. This is very
reprehensible I think Government should
be asked by you to come prepared with a
better statement in reply to future calling
attention notices.

In the statement it has been said that
severe floods took place in various places,
and particularly in North Bengal between
the 3rd and 8th June. But what about
the damages or loss of property ? Nothing
has been mentioned. This simply shows
that the hon. Minister is very complacent
about the flood situation in North Bengal
as also the other parts of India. But the
Minister should know that this complacency
will not be excused by the turbulent
rivers. The time will come when the
Minister and the Government will be washed
away unless they take drastic steps now.

It is reported in almost all the news-
papers that about 30,000 people were forced
to leave their homes in North Bengal,
about 800 acres of peddy land eroded and
160 houses were washed away. The hon.
Minister has not said anything about that.

We know what happened in the great
October flood of 1968. When that shock

has not subsided, we find particularly
in the Jalpaiguri District this further danger
and devastation, even though the Govern-
ment is sitting tight and doing nothing.

It has been announced that the North
Bengal Flood Control Commission would
be formed, and a small office has been
opened. I would like to know whether
this Commission has started functioning
in the North Bengal area to control the
floods, and whether the hon. Minister is
aware that a scheme was taken up as
long back as 1969 at the Irrigation Ministers'
Conference held in Simla to control
the North Bengal rivers ? The estimated
expenditure under this scheme for the
various rivers was as under :

Master plan for Teesta river	...	Rs. 114 crores.
Master plan for Jaldhaka river	...	9.41 crores.
Master plan for Roydok river	...	30.85 crores.
Master plan for Torsha river	...	28.30 crores.
Master plan for Mahendra river	...	1.82 crores.

The total comes to Rs. 184.38 crores.

May I know whether this entire amount
of Rs. 184.38 crores for the work of the
North Bengal Flood Control Commission
has been sanctioned by the Government
of India ?

The hon. Minister said that certain
actions have been taken to control the flood
fury of the North Bengal rivers. Besides
the expansion of the rail and road bridges,
what were the other suggestions made by
the Technical Committee in 1969 ? In
this connection, may I know whether the
flood protection scheme by an effective
armoured embankment in that area from
Mandalghat and Jalpaiguri town of Beltali
and Jhar Singheswar was sanctioned, but
suddenly for God knows what reasons,
the officials stopped the work at Ribganj ?
As a result, serious apprehensions have
appeared in the minds of the local people

there. If this scheme is not extended upto Beltali and Jhar Singheswar as originally proposed, the entire area of Haldibari, Dewaganj, Hemkumari etc, will be washed away during the monsoon period. I would appeal to the Minister that the original scheme be implemented.

Lastly, I would like to know what steps have been taken to give relief, house construction and other kinds of relief, to the 30,000 people who have been forced to leave their hearths and homes in North Bengal.

Lastly I would like to know whether he is thinking in terms of giving certain permanent relief not only by the construction of the flood protection scheme but also by initiating a scheme, flood insurance scheme, in areas which are affected by floods and people in those areas who want to insure their life and properties insured may do so. Is the Government thinking on these lines ?

SHRI B. N. KUREEL : I have already stated that the Government has got a national flood control scheme and I also stated that it has got three phases, immediate, short term and long term. The long term scheme will take about 30-40 years. That is the plan. At present schemes to give immediate relief are taken. He asked about the persons who had been evacuated from that place. The State Governments are making estimates and other things and when they ask for help from the Central Government certainly we shall look into this. The hon. Member has given certain details. We shall see that this part of the country does not get washed away by the rivers. We shall make all efforts to control it.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY : The specific question was whether Rs. 184.28 crores had been sanctioned.

SHRI B. N. KUREEL : That plan has been prepared, but as I said it is a long term policy ; it will take a long time to spend this amount.

श्री० कुरुनीनारायण बाबे (मंसौर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी अपना

वक्तव्य दिया है। उसी संदर्भ में मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूँगा कि बाढ़ें इस प्रकार से प्रति वर्ष इन नदियों में आया करती हैं। इस बार भी आई, गत वर्ष भी आई। इस में एक दो नहीं सैकड़ों मनुष्यों की जाने गईं, कई पशु बह गए, कई मकान ढह गये। इस बार अलकनन्दा की बाढ़ के कारण जो हानि हुई है वह असाधारण है। बिहार के पूर्णिया जिले के कटिहार सब-डिवीजन में भी अनेक नगरों की क्षति पहुंची है और कटिहार की स्थिति यह है कि वह भी शायद जलमग्न होने की दशा में पहुंच जाये। इस बारे में मंत्री महोदय का केवल यह कहना कि हम कुछ कदम उठा रहे हैं, काफी नहीं हैं। बार बार इस बारे में सदन में आश्वासन दिए गए कि फ्लड कंट्रोल प्रोग्राम के अन्तर्गत और दूसरी स्कीमों के अन्तर्गत हम इस पर विचार कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आप के पास कोई ऐसा साधन है या किसी ऐसे निश्चित उपाय के ऊपर आप विचार कर रहे हैं जिससे कि फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम का लाभ लेकर पहले से मालूम हो जाय कि बाढ़ आ रही है जिस में सैकड़ों व्यक्ति जो बह जाते हैं वह बचाये जा सकें और जो इतना नुकसान होता है उसे बचाया जा सके? क्या ऐसा कोई उपाय अपनाया जा रहा है? इस प्रकार की घोषणा डा० के० एल० राव ने अपने भाषण में उस कान्फरेंस के अन्दर की थी जो पिछले वर्ष नवम्बर में यहां हुई थी जिस में पार्लियामेंट के मेम्बर भी थे और दूसरे और एक्सपर्ट लोग भी थे। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूँगा कि उस सम्बन्ध में जो भी उस मीटिंग के अन्दर घोषणायें की थीं उसमें जो सुझाव दिए गए थे उन के ऊपर आप ने अब तक कौन सी कार्यवाही की है, कौन से कदम उठाए हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि यह केवल ब्रह्मपुत्र, गण्डक, कोसी या अलकनन्दा का ही सवाल नहीं है, गुजरात और मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी और दूसरी अनेक नदियों में बाढ़ आती रहती है जिस से कि अपार जनहानि होती है, मकान बह जाया करते हैं, करोड़ों, अरबों

[श्री लक्ष्मीनारायण पांडे]

रूपये की सम्पत्ति की हानि होती है। जैसा हमारे अनेकों माननीय सदस्यों ने यहां पर विचार रखे हैं कि कोई सेंट्रल बोर्ड होना चाहिए और उस समिति ने भी सिफारिश की थी कि उचित समझा जाय तो संविधान में संशोधन किया जाय ताकि कुछ अधिकार इस के बारे में जो स्टेट्स को दे रखे हैं, वे केन्द्र को मिलें और केन्द्र उन के बारे में विचार कर सके। यह सवाल इरिगेशन मंत्रालय की कन्सल्टेटिव कमेटी में भी सदस्यों ने उठाया था और अपने विचार प्रगट किए थे।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान श्री के० एल० राव के दो वक्तव्यों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिन में उन्होंने बतलाया था—

"The Union Government has prepared a comprehensive plan to provide "substantial" protection from floods, cyclones, sea erosions and water-logging in the coming years.

Giving this information today, the Union Irrigation and Power Minister, Dr. K. L. Rao, suggested the creation of a revolving fund for financing these massive flood control works. The schemes which can be taken in the current plan period, he observed, were additions and improvements in the flood forecasting units, organising joint inspection of flood control works by the Centre and the States well in advance of the monsoon season, and intensification of soil conservation measures particularly in the catchment area of the Himalayan rivers."

मैं जानना चाहूँगा कि इस के बारे में आप ने क्या-कदम उठाये हैं? अगर नहीं उठाये हैं तो इस पर आप क्या विचार करने जा रहे हैं?

दूसरे वक्तव्य में माननीय मंत्री महोदय ने कहा था—

"The Union Government has now admitted that five States in India are the worst-affected by floods. During the 16-year period from 1956, the total loss suffered by those States is of the order of Rs. 333.31 crores. The admission came at the meeting of the Consultative Committee of the Members of Parliament for Irrigation and Power. The Ministry has expanded today's meeting to include those who also serve on the Central Flood Control Committee."

मैं जानना चाहूँगा कि इन पांच स्टेट्स के बारे में जो वर्तमान स्थिति है उस के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं। अभी आप ने कहा कि आंकड़े नहीं आये हैं कि कितना लीम हुआ है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप ने क्या सहायता दी है, किस प्रकार की सहायता देने जा रहे हैं, किस रूप में देने जा रहे हैं? क्या कोई यूनिट तैयार करने जा रहे हैं जो हमेशा फ्लड-कंट्रोल पर काबू पाने के लिए कोई निश्चित फॉर्म के रूप में तत्काल वहाँ जा कर काम करे और उन को तत्काल सहायता दे?

श्री बीजनाथ कुरील : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पृथ्वी बात तो यह पूछी है कि क्या हमारे पास कोई बार्निंग या फोरकास्टिंग सैन्टर्म हैं? हमारे पास इस का प्रबन्ध है। यह जलपाइगुड़ी में है, पटना में है। जो पटना में है उस के कंट्रोल रूम्ज मुजफ्फरपुर, दरभंगा मुंधेर और वीरपुर में हैं। इसी तरह से जो लखनऊ में है, उस के कंट्रोल रूम्ज इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर में हैं।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने यह पूछी थी कि कन्सल्टेटिव कमेटी में जो कन्सल्टेटिव्स हुई थीं, उन पर क्या काम हुआ है? मैं इन के बारे में डिटेल्ज अभी नहीं बता सकूँगा, लेकिन बाद में उन की जानकारी प्राप्त कर के माननीय सदस्य को अवगत करा सकूँगा।

इस में कोई शक नहीं है कि के आर-पांच स्टेट्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड हैं और हर

साल लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों रुपये का नुकसान होता रहता है। जैसा मैंने बताया है कि इस बारे में सरकार की एक निश्चित नीति है, नेशनल स्कीम बनी हुई है और उस के अन्तर्गत इन सब की मदद पहुंचाने की बात होती रहती है। उस का जो कन्ट्रोल बोर्ड है, कन्ट्रोल कमीशन है, टेकनीकल कमेटी हैं, उन सब के फंक्शन अलग अलग है।

एक बात माननीय सदस्य ने पूछी है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उस का कोई एस्टीमेट है। एस्टीमेट तो नहीं है, लेकिन जब एस्टीमेट बननेगे और स्टेट गवर्नमेन्ट्स सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट से मदद मागेगी, उस वक्त हम लोग इसके बारे में कुछ कर सकेंगे।

डा० लक्ष्मीनारायण पांडे : मैंने कास्टीचूशन में संशोधन के लिए पूछा था, उस के बारे में आप ने कुछ नहीं बताया।

श्री बंजनाथ कुरील : वह स्टेट और सैन्टर के रिलेशन की बात है, उस के बारे में आफ-हैंड में कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जितनी भी घटनायें घटी हैं, लखनऊ से लेकर कलकत्ते तक, सब का जिक्र किया लेकिन जहाँ से ये घटनायें शुरू होती हैं, उन का जिक्र नहीं किया। मेरा तात्पर्य उत्तर प्रदेश के महाड़ी हिस्से के है, जहाँ से अलकनन्दा नदी निकलती है। उन्होंने धारबूला और पिथौरागढ़ का जिक्र किया, लेकिन वहाँ क्या रिलीफ पहुंचा रहे हैं या क्या योजनायें बना रहे हैं, इस का कोई जिक्र स्टेटमेन्ट में नहीं है— इस का मुझे दुख है।

मैं उन का ध्यान आज के टाइम्स आफ इण्डिया की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, जहाँ के पेज 7 पर लिखा हुआ है—

"600 pilgrims stranded at Chamoli"

कल के हिन्दुस्तान टाइम्स में भी यह समाचार है कि 350 बकरियाँ वहाँ बह गईं, बहुत से मकान टूट गये, बहुत सी खेती बह गई और 600 यात्री वहाँ पर स्ट्रैंडर्ड हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह आदेश दिया है कि कोई बन्नीनाथ और केदार नाथ की यात्रा न करें, क्योंकि लैंड-स्लाइड वहाँ इतने ज्यादा हो रहे हैं कि कहीं भी खतरा पैदा हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में सरकार का ध्यान उस तरफ आकर्षित होना चाहिए था और इस तकलीफ के निराकरण के लिए कुछ काम अवश्य होना चाहिए था। मेरे पूर्व-वक्ताओं ने ऐसी योजनाओं का काफी जिक्र किया है जिन से फ्लड-कन्ट्रोल किया जा सकता है, मैं उन को दोहराना नहीं चाहता हूँ लेकिन यह निवेदन अवश्य करना चाहता हूँ कि जितने दुखित परिवार है, जिन की खेती को नुकसान हो गया है, मकान टूट गये हैं, जानवर बह गये हैं, उन की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार इस के लिए क्या कर रही है ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो योजनायें करोड़ों रुपयों की लखनऊ से कलकत्ता तक के लिए आप ने बतलाई है, क्या कोई थोड़े से करोड़ रुपयों की योजना इस क्षेत्र के लिए भी आपने बनाई है, क्योंकि यह इलाका बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, इस की तरफ आप का ध्यान नहीं जाता है। शुरू से यह बहुत तिरस्कृत इलाका रहा है, बोकल इलाका न होने की वजह से सब मामलों में तिरस्कृत रहा है। आज वे लोग महसूस करते हैं कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता है। जहाँ काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और बुनिया भर में काम हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के ये 8 जिले हमेशा पिछड़े रहे। अभी आज ही मेरा सवाल था, लेकिन दुर्भाग्य-वश वह नहीं आ सका, सब जगहों के लिए आप स्कारलरशिप दे रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के इन 8 जिलों के लिए पढ़ाई के स्कारलरशिप्स नहीं देते हैं। इस तरह से यह इलाका तिरस्कृत

[श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट]

नहीं रहना चाहिए, इस की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। पिछले साल आप ने सुना होगा 20 बसें वहाँ पर बह गईं, बहुत से यात्री बह गये थे, बड़ी भयंकर स्थिति नन्दप्रयाग में हो गई थी। इस लिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत योजना वहाँ के लिए भी बननी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह तो ध्यान आकषित किया है, प्रश्न नहीं है।

श्री बंजनाथ कुरील : अध्यक्ष महोदय, इस में कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश के ये पर्वतीय जिले काफी पिछड़े हुए हैं, इनके निराकरण के लिए कुछ अवश्य होना चाहिए। दिक्कत यह है कि इस तरह की कोई घटना पहले इस नदी में नहीं हुई थी। भागीरथी और अलकनन्दा दोनों गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, देवप्रयाग में ये दोनों गंगा को बनाती हैं। पहले इन में कोई प्राबलम इस तरह की पैदा नहीं हुई थी, पिछले साल यह प्राबलम आई और उस के आधार पर अब कुछ स्कीम बनेगी और जरूर बनेगी। लैड स्लाइड से बहुत सी जाने चली जाती है। इस लिए कोई बड़ी स्कीम इस के लिए बननी चाहिए—ऐसा मेरा स्याल है। हम इस पर विचार करेंगे और इस पर्वतीय-आंचल का अवश्य ध्यान रखा जायगा—इतना ही आश्वासन मैं इस समय दे सकता हूँ।

श्री परिपूर्णानन्द वेम्बूली (टिहरी गढ़वाल)
अध्यक्ष महोदय, आप इजाजत दें तो दो शब्द मैं भी कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपसे बड़ी हमदर्दी है कि बेलट ने आपका लिहाज नहीं किया।

श्री परिपूर्णानन्द वेम्बूली : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मैंने भी अपना नाम रखा था लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि बेलट में मेरा नाम नहीं आ सका। यह अलकनन्दा का जो प्रश्न है

वह मेरी कांस्टीट्यून्सी का है। आपकी इजाजत हो तो केवल दो शब्द ही कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक ऐसा मसला है जिस पर किसी दिन शाम को जब बिजनेस खत्म होगा तो आध घंटे, घंटे का टाइम दे दूंगा।... (व्यवधान)...

12.40 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

DELHI MOTOR VEHICLES (AMDT.) RULES

THE MINISTER OF PARLIAMEN-
TARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND
TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR)
I beg to lay on the Table a copy of the
Delhi Motor Vehicles (Amendment) Rules,
1971 (Hindi and English versions) published
in Notification No. F 3(1)/71-Tpt in Delhi
Gazette dated the 16th April, 1971, under
sub-section (3) of section 133 of the Motor
Vehicles Act, 1939. [Paced in Library.
See No. LT-448/71]

ANNUAL REPORT RE. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL UNDERTAKINGS, P. O. SAVINGS CERTIFICATES (2ND AMDT) RULES AND NOTIFICATIONS

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R.
GANESH) : I beg to lay on the Table :—

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) on the working of the Industrial and Commercial Undertakings of the Central Government for the year 1969-70. [Placed in Library. See No. LT-450/71.]*
- (2) A copy of the Notification No. S. O. 874 (Hindi and English versions) Published in Mysore Gazette dated the 20th May, 1971, under sub-section (2) of section 9 of the Mysore Stamp Act, 1957 read with clause (c) (iv) of the Proclamation dated the 27th March,